—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 30/2022

उनवान

अनिल कुमार पुत्र सीताराम जाति अग्रवाल निवासी 14 गांधी चौक, नसीराबाद
—— प्रार्थी :—जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. गोपाल पुत्र सुजान,
2. प्रेम पत्नी सुजान,
3. पाचूं पुत्र मांगू,
4. पिन्टू पुत्र गोरधन,
5. मनता पुत्री सुजान,
6. रसाल पत्नी नन्दा,
7. रामधन पुत्र मांगू,
8. विजय सिंह पुत्र गोवर्धन,
9. श्योराज उर्फ शिवराज, पुत्र मांगू,
10. शारदा पुत्री सुजान,
11. सन्तोक पत्नी गोवर्धन,
12. सन्तोष पुत्री नन्दा,
13. हरलाल पुत्र भागू जाति जाट नि. देराठू, नसीराबाद,
14. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— अप्रार्थीगण :— 7 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली,
14 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

15. संदीप गोयल पुत्र सीताराम अग्रवाल नि— 14 गांधी चौक, नसीराबाद
—— प्रफोर्मा अप्रार्थी :— अननुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 26.11.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के वंर्किग खसरा नम्बर 3985 के हाल खसरा नम्बर 5729 रकबा 0.12, 5730 रकबा 0.03, 1522/7657 रकबा 0.20 व 1521 रकबा 1.10 की प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। वंर्किग खसरा नम्बर 3985 मिन रकबा [illegible] व 3985 रकबा 2—4—0 की कुल भूमि में से 1/2 हिस्सा की भूमि [illegible] द्वारा [illegible] विक्रय पत्र दिनांक 19.5.03 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1521 रकबा 1.10 है। प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 15 द्वारा भी खसरा नम्बर 1521 में 1/4 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 1.12.17 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त खसरा नम्बर पर मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:04 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

चारदीवारी बनी हुयी है। उक्त आवेदन पत्र आराजी मुतनाजा के वंर्किग खसरा नम्बर 3985 के अनुसार तरमीम करने हेतु पेश किया गया हैं। अतः वर्तमान राजस्व मानचित्र में पूर्व राजस्व नक्शा अनुसार तरमीम की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गयां। अप्रार्थी संख्या 7 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने के कारण जवाब बंद किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश नही किया। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 1522/7657, 5729 व 5730 अप्रार्थी संख्या 1 से 13 की खातेदारी तथा खसरा नम्बर 1521 प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का है। उक्त समसत हाल खसरा नम्बर वंर्किग खसरा नम्बर 3985 से बने है। अप्रार्थी संख्या 7 व अन्य द्वारा वंर्किग खसरा नम्बर 3985 में अपना हिस्सा प्रार्थी कोबैचान किया है। तथा अप्रार्थी संख्या 15 द्वारा भी हाल खसरा नम्बर 1521 में 1/4 हिस्सा क्रय किया है। पूर्व में आराजी मुतनाजा एक ही खसरा नम्बर के रूप में राजस्व मानचित्र में अंकित थी। हाल राजस्व मानचित्र में वंर्किग खसरा नम्बर 3985 के 4 हाल खसरा नम्बर बने है तथा राजस्व मानचित्र में 4 खसरा नम्बर के रूप में अंकित है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 15 ने अपनी क्रयशुदा आराजी पर चारदीवारी बना रखी है। हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 1521 की सही तरमीम नही होने के कारण प्रार्थी राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती चाहता है। अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा प्रकरण में जवाब पेश नही किया है। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। किसी भी पक्षकार द्वारा प्रकरण का खण्डन नही किया गया है। नक्शा दुरूस्ती से राजहित प्रभावित नही होता है। आराजी मुतनाजा का रकबा भी जमाबंदी में परिवर्तित नही होना है। हाल राजस्व मानचित्र के अनुसार भी प्रार्थना पत्र के कथनों की ताईद होती है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आदिनांक व सही रखने, पायी गयी त्रुटि को दुरूस्त करने का कर्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है। आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रार्थी राजस्व मानचित्र दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के वंर्किग खसरा नम्बर 3985 हालल खसरा नम्बर 5729, 5730, 1521, 1522/7657 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त खसरा नम्बर की आराजी का हाल व साबिक राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को उक्तानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.01 17:07:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नसीराबाद